



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit-Ambala / परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अम्बाला

16, Prem Nagar, Ambala City-134003, Haryana

16, प्रेम नगर, अम्बाला शहर-134003, हरियाणा

दूरभाष / Phone:-0171-2520361 ; ई-मेल / Email :-amb@nhai.org & piuambala@gmail.com

11140/NHAI/AMB/Ambala Ring Road/ 3690



सड़क ही नहीं राष्ट्र का निर्माण भी



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

01.2024

सेवा मे,

प्रभागीय वन अधिकारी,

वन प्रभाग अंबाला,

हरियाणा

ई-मेल : (dfo.amb-hry@nic.in)

विषय: Diversion of 1.88 ha. of Forest land in favour of Project Director, NHAI, Ambala for Construction of Ambala Ring Road for development of four lanning from Design Chainage K.m. 18.226 to 40.750 under various Forest Strips Bharatmala Pariyojana Phase in Economic corridor in Haryana State, Ambala under Forest Division & Distt. Ambala, Haryana - (online proposal No. FP/HR/ROAD/155991/2022)- regarding.

संदर्भ: MoEFCC, Regional Office, Chandigarh letter No. 9-HRB/166-2023-CHA dated 01.12.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र का संज्ञान ले, जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1.88 हेक्टेयर वन भूमि को परियोजना के लिए सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान कर चुका है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन निम्नलिखित है :-

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सोपने से पहले अनुपालना करने की आवश्यकता है :-

Sr. No.	Conditions stipulated in In-principal approval	Compliance by User Agency
1	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न NEFT/RTGS ई-चालान के माध्यम से कुल राशि 42,56,268/- रूपए CA, ACA and NPV के लिये हरियाणा CAMPA खाते में जमा की गई है जिसका UTR No. CNRBR52023121969944013 dated 19.12.2023 भुगतान की रसीद Annexure-I में संलग्न है।
2	प्रयोक्ता एजेंसी से Additional CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न NEFT/RTGS ई-चालान के माध्यम से कुल राशि 42,56,268/- रूपए CA, ACA and NPV के लिये हरियाणा CAMPA खाते में जमा की गई है। जिसका UTR No. CNRBR52023121969944013 dated 19.12.2023 भुगतान की रसीद Annexure-I में संलग्न है।

Contd.: P/2

Asst. Secy

-:2:-
11140/NHAI/AMB/Ambala Ring Road/3690 dated 04.01.2024

3	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 6.6993 हेक्टेयर की नैट प्रॉजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	परिवेश पोर्टल से उत्पन्न NEFT/RTGS ई-चालान के माध्यम से कुल राशि 42,56,268/- रूपए CA, ACA and NPV के लिये हरियाणा CAMPA खाते में जमा की गई है। जिसका UTR No. CNRBR52023121969944013 dated 19.12.2023 भुगतान की रसीद Annexure-I में संलग्न है।
4	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	उक्त राशि CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है।
5	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	सहमत
6	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किये जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किये जाते है अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-1 clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा	सहमत
7	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृति किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है इस आशय का एक वचन पत्र कि " इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है " प्रस्तुत किया जाए इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा	Undertaking in Annexure-II संलग्न है।
8	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा	FRA 2006 पूर्ण अनुपालन किया गया है, इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर करनाल का प्रमाण पत्र मूल प्रति में Annexure- III संलग्न है।

Contd.: P/3

Arshin

11140/NHAI/AMB/Ambala Ring Road/3690 dated 04.01.2024

9	वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन विभाग से सम्बंधित है ।
----------	--	---------------------------

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है :-

Sr. No.	Conditions stipulated in In-principal approval	Compliance by User Agency
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	सहमत
2	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ।	सहमत
3	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार Sirsa Branch RD 45 to 117 L/R side in village Pujam, Barani, Khawaja Ahmedpur, Barthal, Kamalpur, Abeli, Aibla Jagir, Geetalpur, Borsham, Budhera, Hatira, Pistana, Raison, Dayanagar, Tigri Khalso in Tehsil - Nilokheri, District - Karnal, Haryana पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा । यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा ।	वन विभाग से सम्बंधित है ।
4	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे ।	वन विभाग से सम्बंधित है ।
5	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	वन विभाग से सम्बंधित है ।

Arshu

-:4:-

11140/NHAI/AMB/Ambala Ring Road/3690 dated 04.01.2024

6	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	सहमत
7	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	सहमत
8	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	सहमत
9	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	सहमत
10	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	सहमत
11	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	सहमत
12	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारावर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	सहमत
13	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	सहमत
14	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	सहमत
15	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	सहमत
16	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	सहमत
17	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	सहमत
18	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	सहमत

Contd.: P/5


Handwritten signature

-:5:-

11140/NHAI/AMB/Ambala Ring Road/3690 dated 04.01.2024

19	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।	सहमत
20	कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा	सहमत
21	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो; के सह-समाप्ति होगी।	सहमत
22	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	सहमत
23	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	सहमत
24	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	सहमत

Encl.: As above


प्रोजेक्ट डायरेक्टर
PIU अम्बाला

Copy to:-

- (i) The Regional Officer, NHAI Chandigarh.: - for kind information please.
- (ii) Addl. PCCF-cum-Nodal Officer (FCA) Haryana:- for kind information and necessary action please.
- (iii) DFO, Ambala - for kind information and necessary action please.

PROJECT NAME : DIVERSION OF 1.88 Ha. of Forest land in favour of Project Director, NHAI. Ambala for Construction of Ambala Ring Road for Development of four Lanning from Deign chainage km. 18.226 to140.750 under Forest strips Bharatmala Pariyojna Phase-1 Economic corridor in Haryana State, Ambala under Forest Division & Distt. Ambala Haryana.

Proposal No. FP/HR/ROAD/155991/2022).

Undertaking

This is to certify that as the project road alignment namely “DIVERSION of 1.88 Ha. of Forest land in favour of Project Director, NHAI. Ambala for Construction of Ambala Ring Road for Development of four Lanning from Deign chainage km. 18.226 to140.750 under Forest strips Bharatmala Pariyojna Phase-1 Economic corridor in Haryana State, Ambala under Forest Division & Distt. Ambala Haryana.”. that “**NO Proposal is pending with the Board for compliance with condition of Stage-1 approval**”.



Signature Of User Agency.

NORTHERN RAILWAY

Headquarters Office,
Baroda House,
New Delhi
Dated: 22.09.2023

260-w/2035/HR/BR/S&D

Project Director/NHAI,
16, Prem Nagar,
Ambala City-134003.

Subject :- Proposal for construction of ROB at Km 24.260 of Proposed Ambala Ring Road on UMB-SRE section of Northern Railway at Ch. 255/5 between Ambala Cantt. and Dukheri Railway section. (Proposal No. NRUMB 0058)
Ref:- Sr.DEN-I/NR/UMB Letter No. 128-W/MISC/23-24 dated 15.09.2023

As per letter referred above the GAD of Proposal ID No. NRUMB 0058 has been approved by the competent authority on dated 21.09.2023 vide NRHQE Plan No. XEN/RC/1879/GAD.

This is for your information.

Rashmi
22/9/23

Rashmi kumar
(Dy.CE/ROB)

DA:- As above

Copy to:- (i) Sr.Divisional Engineer-I, Ambala Cantt. for information

उ. रेलवे

380
18/09/23

SNB 13

NORTHERN RAILWAY

No. 128-W/MISC/23-24
Dated: 15.09.2023

Divisional Office,
Ambala Cantt.


Dy. CE/ROB,
N. Rly. Hd. Qrs,
Baroda House, New Delhi-110001

Sub: GAD for proposed ROB between UMB-DOKY railway station at Railway 255/5 KM on UMB-DOKY section.

In reference to above, the original GAD (IR-RRCAS proposal no. NRUMB0058) duly approved by DRM/UMB is forwarded herewith for kind approval of HQ office.

May please accord approval at the earliest.

DA:
1. N.R. DIVL. PLAN NO: -ROB-132/UMB-SRE-2023/UMB


for
Sr. Divisional Engineer-1
N. Rly., Ambala Cantt.

N.Rly.

NORTHERN RAILWAY

Headquarters Office,
Baroda House,
New Delhi
Dated: 12.07.2023

260-W/2036/HR/BR/S&D

General Manager (Tech.) & Project Director,
PIU-Ambala,
Ambala City,
Haryana-134003.

Subject :- Construction of ROB at km 27.900 of proposed Ambala Ring Road on SRE-UMB-DLI section of Northern Railway at CH: 190.260 m TP (30-32) between Ambala Cantt & Mohri Railway station.

(Proposal ID : NRUMB 0059)

Ref:- Letter No. 11061/NHAI/AMB/Ambala Ring Road/3715 dated 29.03.2023

In view of the letter referred above, the GAD of RORACS Proposal ID No. **NRUMB 0059** has been approved from the competent authority dated 12.07.2023. Scan Copy of the same GAD has been mailed to your official mail id on 12.07.2023.

CAO/C, NR has already been nominated as supervising agency.

Circle letter no 260-W/16-MINC/HR/BR S&D Dated 16.12.2022

This is for your information please.

Rashmi
12.7.23
Rashmi kumar
(Dy.CE/ROB)

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE. Diversion of 1.88 Ha of forest Land for development of four Lining of Ambala Ring road from Design change 18.226 to 40.750 under Bharatmala Pariyojna Phase-1 (Economic Corridor) in Haryana state, Ambala under forest Division & District – Ambala Haryana District/Forest Division falls within jurisdiction of Khudda, Bhrahman Majra, Shahpur, Ugara Bara, Behbalpur, Mohra, Village (s) in Tehsil Ambala Cantt & Ambala city (s).

It is certified on the basis of report of Divisional Forest Officer that the forest land which is proposed to be diverted is plantation which was notified as “forest” less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and on the basis of certificate issued by SDM Ambala Cantt & Ambala city & Divisional Forest Officer, Ambala is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

Signature

(Full name and official seal of the
Divisional Forest Officer)

Divisional Forest Officer
Ambala Forest Division
Ambala

Signature

(Full name and official seal of the
Deputy Commissioner
Ambala
District Collector)

M